E Content for the Student of Patliputra University

Subject - Political Science

Class - B.A. (Hons.) Part I. Paper - II

Topic - American Senate

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Professor, Pol. Sc.
R.R.S. College, Mokama

विश्व में करीब आधे विधायिकायें द्विसदनात्मक हैं। अमेरिकी विधायिका, जिसका नाम कांग्रेस (Congress) है के भी दो सदन हैं — प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा (House of Representative) द्वितीय सदन सीनेट (Senate) द्विसदनात्मक विधायिका में प्रायः द्वितीय सदन शक्ति और महत्व की दृष्टि से एक कमजोर सदन समझा जाता है। कई व्यवस्थाओं में तो इसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए इसकी समाप्ति का प्रस्ताव किया जाता है। इसके विपरीत अमेरिकी सीनेट की शक्ति और महत्व ज्यादा है। अपनी प्रभावशाली भूमिका के कारण यह विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है।

इसके संगठन से लेकर शक्ति तक इसके महत्व का अहसास होता है। जिसका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है —

(1) संगठन - अमेरिकी सीनेट का संगठन संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर होता है। इसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सभी राज्य एक इकाई समझे जाते हैं तथा सबों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रत्येक राज्य से, बड़ा हो या छोटा दो-दो सदस्य चुनने का अधिकार है। चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। इस प्रकार जहाँ प्रतिनिधि सभा के सदस्य दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं वहाँ सीनेट के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

इसीप्रकार जहाँ प्रतिनिधि सभा के सदस्य कम संख्या के का प्रतिनिधित्व करते हैं वहीं सीनेट के सदस्य अधिक संख्या के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के पद अधिक संख्या में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेट के सदस्य ही होते हैं। इस प्रकार संगठनात्मक स्वरूप में सीनेट अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के साथ विश्व के अन्य द्वितीय सदनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है

(2) विधायनी शक्ति - सामान्यतः विधायनी क्षेत्र में प्रथम सदन की तुलना में द्वितीय सदन को कम शक्ति रहती है इसके विपरीत सीनेट को समान शक्ति प्राप्त है। दोनों सदनों से प्रस्ताव का पारित किया जाना आवश्यक है। मतभेद की स्थिति में जहाँ भारत जैसे देश में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जिसमें प्रथम सदन को संख्या बल का लाभ मिलता है। किंतु अमेरिकी कांग्रेस में यह प्रावधान नहीं है। यहाँ समझौता समिति की बैठक होती है, जिसमें दोनों सदनों से समान संख्या में सदस्यों द्वारा गठित की जाती है। इस कारण सीनेट के वर्चस्वकारी भूमिका में कोई कमी नहीं आती है, न ही प्रतिनिधि सभा अपनी संख्या बल का लाभ ले पाता है।

(3) वित्तीय शक्ति - वित्तीय क्षेत्र में विश्व के सभी द्वितीय सदनों को काफी कम अधिकार प्राप्त है। यह सत्य है कि वित्त विधेयक का प्रारंभ सीनेट में नहीं किया जाता है। किंतु बजट का निर्माण वहाँ ब्यूरो ऑफ द बजट द्वारा किया जाता है। इसप्रकार वहाँ की सरकार बहुत ज्यादा वित्तीय दखलंदाजी नहीं कर पाती है।

सीनेट बिल विधेयक का नाम परिवर्तित करने के अतिरिक्त पूरा प्रस्ताव परिवर्तित कर सकती है।

(3) न्यायिक शक्ति – अमेरिका में राष्ट्रपति तथा अन्य के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में सीनेट की भूमिका न्यायालय की हो जाती है। इस संदर्भ में सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

(4) नियुक्तियों पर अनुसमर्थन – अमेरिकी राष्ट्रपति को नियुक्ति का व्यापक अधिकार प्राप्त है। किन्तु सभी नियुक्तियां तभी वैध मानी जाती है, जब उसपर सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त हो जाए। वर्तमान समय में एक परम्परा का निर्वाह किया जाता है, कि अगर राष्ट्रपति नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के राज्य के सीनेटरों से सूचना दिये जाने की औपचारिकता का पालन कर लेता है तो उसे सीनेटोरियल शिष्टाचार का पालन मानते हुए सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त हो जाता है।

(5) विदेश नीति एवं संधियों का अनुसमर्थन – सीनेट को विदेशिक मामले में यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त है; जो किसी अन्य देश में आम रूप से द्वितीय सदन को नहीं दी गई है। अमेरिका द्वारा की गई किसी विदेश से की गई संधि – समझौते तबतक मान्य नहीं होंगे, जबतक सीनेट का उसपर अनुसमर्थन प्राप्त न हो। वर्साई की संधि (पेरिस शांति सम्मेलन) का वहाँ जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन थे। कई संधियाँ की गई। राष्ट्रसंघ का गठन का निर्णय भी लिया गया। विल्सन विश्व शांति दूत कहलाये। किन्तु सीनेट ने उन सभी संधियों का अनुसमर्थन नहीं दिया। परिणामस्वरूप अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य भी नहीं बन पाया। विल्सन ने काफी प्रयास किया कि सीनेट का अनुसमर्थन

प्राप्त हो जाय, किन्तु असफल है। वर्तमान समय में इससे बचने की एक परम्परा विकसित हुई है। अगर राष्ट्रपति दूसरे देश से Executive Aggreement करते हैं तो इसपर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु व्यापक संधि की स्थिति में अनुसमर्थन आवश्यक है। यही कारण है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री आदि अमेरिकी सीनेट के वैदेशिक मामलों के समिति के साथ भी वार्ता करना आवश्यक समझते हैं।

अमेरिकी सीनेट, संविधान संशोधन में भी अपनी जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभा के समान ही प्राप्त करती है। वैसे वहाँ जनमत संग्रह तथा राज्यों की विधायिका का समर्थन ज्यादा महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है।